

## **HARYANA VIDHAN SABHA**

### **LIST OF BUSINESS FOR THE MEETING OF THE HARYANA VIDHAN SABHA TO BE HELD IN THE HALL OF THE HARYANA VIDHAN SABHA, VIDHAN BHAWAN, CHANDIGARH, ON THURSDAY, THE 5<sup>TH</sup> NOVEMBER, 2020 AT 2.00 P.M.**

#### **I. OBITUARY REFERENCES.**

A MINISTER to make reference to the deaths of the late:-

1. Bharat Ratna Shri Pranab Mukherjee, former President of India.
2. Shri Ram Vilas Paswan, Union Minister.
3. Shri Suresh Angadi, Union Minister of State.
4. Shri Jaswant Singh, former Union Minister.
5. Swami Agnivesh, former Minister of Haryana.
6. Shri Dev Raj Dewan, former Member of Haryana Legislative Assembly.
7. Shri Mamu Ram, former Member of Haryana Legislative Assembly.
8. Smt Saroj, former Member of Haryana Legislative Assembly.
9. Freedom Fighters of Haryana.
10. Martyrs of Haryana.
11. Others.

#### **II. QUESTIONS.**

Questions entered in the separate list to be asked and answers given.

#### **III. SECOND REPORT OF THE BUSINESS ADVISORY COMMITTEE.**

- (i) THE SPEAKER to report the time table fixed by the Business Advisory Committee in regard to various business.
- (ii) A MEMBER OF THE COMMITTEE to move that this House agrees with the recommendations contained in the Second Report of the Business Advisory Committee.

#### **IV. CALLING ATTENTION NOTICE**

##### **(i) Calling Attention Notice No. 6, 16 & 34**

**Shri Abhay Singh Chautala, MLA**

**Smt. Kiran Choudhry, MLA**

**Shri Varun Chaudhry, MLA**

**Shri Bishan Lal, MLA**

**Shri Bharat Bhushan Batra, MLA**

**Shri Aftab Ahmed, MLA**

**Smt. Geeta Bhukkal, MLA**

**Shri Kuldeep Vats, MLA,**

**Shri Jagbir Singh Malik, MLA**

**Smt. Shakuntla Khatak, MLA**

**Shri Mewa Singh, MLA**

**Shri Amit Sihag, MLA -** to call the attention of the Minister of Revenue and Disaster Management regarding more than 30 thousand false registries in the 32 cities of the State.

**(ii) Calling Attention Notice No. 12**

**Shri Abhay Singh Chautala, MLA -** to call the attention of the Minister of Health regarding 46% increase in infant Mortality Rate (April to June) in the State.

**V. PAPERS TO BE LAID ON THE TABLE OF THE HOUSE.**

1.	A MINISTER	to lay on the Table the Excise and Taxation Department Notification No. 70/GST-2, dated the 26 <sup>th</sup> August, 2020, as required under section 166 of the Haryana Goods and Services Tax Act, 2017.
2.	A MINISTER	to lay on the Table the Excise and Taxation Department Notification No. 71/GST-2, dated the 26 <sup>th</sup> August, 2020, as required under section 166 of the Haryana Goods and Services Tax Act, 2017.
3.	A MINISTER	to lay on the Table the Excise and Taxation Department Notification No. 72/GST-2, dated the 27 <sup>th</sup> August, 2020, as required under section 166 of the Haryana Goods and Services Tax Act, 2017.
4.	A MINISTER	to lay on the Table the Excise and Taxation Department Notification No. 74/GST-2, dated the 11 <sup>th</sup> September, 2020, as required under section 166 of the Haryana Goods and Services Tax Act, 2017.
5.	A MINISTER	to lay on the Table the Excise and Taxation Department Notification No. 75/GST-2, dated the 11 <sup>th</sup> September, 2020, as required under section 166 of the Haryana Goods and Services Tax Act, 2017.
6.	A MINISTER	to lay on the Table the Excise and Taxation Department Notification No. 76/GST-2, dated the 16 <sup>th</sup> September, 2020, as required under section 166 of the Haryana Goods and Services Tax Act, 2017.
7.	A MINISTER	to lay on the Table the Excise and Taxation Department Notification No. 77/GST-2, dated the 21 <sup>st</sup> September, 2020, as required under section 166 of the Haryana Goods and Services Tax Act, 2017.
8.	A MINISTER	to lay on the Table the Excise and Taxation Department Notification No. 79/GST-2, dated the 1 <sup>st</sup> October, 2020, as required under section 166 of the Haryana Goods and Services Tax Act, 2017.
9.	A MINISTER	to lay on the Table the Excise and Taxation Department Notification No. 83/GST-2, dated the 12 <sup>th</sup> October, 2020, as required under section 166 of the Haryana Goods and Services Tax Act, 2017.
10.	A MINISTER	to lay on the Table the Excise and Taxation Department Notification No. 84/GST-2, dated the 12 <sup>th</sup> October, 2020, as required under section 166 of the Haryana Goods and Services Tax Act, 2017.
11.	A MINISTER	to lay on the Table the Excise and Taxation Department Notification No. 85/GST-2, dated the 12 <sup>th</sup> October, 2020, as required under section 166 of the Haryana Goods and Services Tax Act, 2017.

12.	A MINISTER	to lay on the Table the Excise and Taxation Department Notification No. 86/GST-2, dated the 20 <sup>th</sup> October, 2020, as required under section 166 of the Haryana Goods and Services Tax Act, 2017.
13.	A MINISTER	to lay on the Table the Excise and Taxation Department Notification No. 87/GST-2, dated the 20 <sup>th</sup> October, 2020, as required under section 166 of the Haryana Goods and Services Tax Act, 2017.
14.	A MINISTER	to lay on the Table the Excise and Taxation Department Notification No. 88/GST-2, dated the 20October, 2020, as required under section 166 of the Haryana Goods and Services Tax Act, 2017.
15.	A MINISTER	to lay on the Table the Excise and Taxation Department Notification No. 89/GST-2, dated the 20 <sup>th</sup> October, 2020, as required under section 166 of the Haryana Goods and Services Tax Act, 2017.
16.	A MINISTER	to lay on the Table the Excise and Taxation Department Notification No. 90/GST-2, dated the 28 <sup>th</sup> October, 2020, as required under section 166 of the Haryana Goods and Services Tax Act, 2017.
17.	A MINISTER	to lay on the Table the Excise and Taxation Department Notification No. 91/GST-2, dated the 28 <sup>th</sup> October, 2020, as required under section 166 of the Haryana Goods and Services Tax Act, 2017.
18.	A MINISTER	to lay on the Table the Excise and Taxation Department Notification No. 92/GST-2, dated the 28 <sup>th</sup> October, 2020, as required under section 166 of the Haryana Goods and Services Tax Act, 2017.
19.	A MINISTER	to lay on the Table the Annual Statement of Accounts of the Housing Board, Haryana, Panchkula for the year 2017-2018, as required under section 19-A (3) of the Comptroller and Auditor General's (Duties, Powers and Conditions of Service) Act, 1971
20.	A MINISTER	to lay on the Table the Annual Statement of Accounts of Haryana Shehri Vikas Pradhikaran for the year 2015-2016, as required under section 19-A (3) of the Comptroller and Auditor General's (Duties, Powers and Conditions of Service) Act, 1971.
21.	A MINISTER`	to lay on the Table the 50 <sup>th</sup> Annual Report of Haryana State Warehousing Corporation, Panchkula for the year 2016-2017, as required under section 31 (11) of the Warehousing Corporation Act, 1962.

## VI OFFICIAL RESOLUTIONS

**(i) A MINISTER to move-** “That the Haryana Control of Organised Crime Bill, 2019 was introduced to make special provisions for prevention and control of, and for coping with criminal activity by organised crime syndicate or gang and for matters connected therewith. Thus, the Haryana Control of Organised Crime Bill, 2019 was made by the State Government and was passed by Haryana Vidhan Sabha on the 4<sup>th</sup> August, 2019;

And whereas, the said bill was presented to the Governor of Haryana in compliance of the provisions contained in Article 200 of the Constitution of India for giving his assent thereto;

And whereas, the Governor reserved the said Bill for the consideration of the President of India under Article 201 of the Constitution of India.

And whereas, the Haryana Control of Organised Crime Bill, 2019 was sent to the Government of India, Ministry of Home Affairs, Government of India for assent of the President of India. On seeking comments of Ministry of Electronics and Information Technology, Government of India (MeitY) by Ministry of Home Affairs, Government of India, it was observed that the provision for interception as proposed in section 14 of the Haryana Control of Organised Crime Bill, 2019 is already covered under the provisions of the Indian Telegraph Act, 1885 (Central Act No. 13 of 1885) and the Information Technology Act, 2000 (Central Act No. 21 of 2000) and rules framed thereunder respectively and thus, providing such provision in the Haryana Control of Organised Crime Bill, 2019 may lead to confusion and is not supported by Ministry of Electronics and Information Technology, Government of India. Accordingly, the State Government requested the Ministry of Home Affairs, Government of India to return the Haryana Control of Organised Crime Bill, 2019, as the State of Haryana intends to introduce new bill in view of the observations made by the Ministry of Electronics and Information Technology, Government of India.

And whereas, the Council of Ministers in its meeting held on the 16<sup>th</sup> October, 2020 has decided to withdraw the Haryana Control of Organised Crime Bill, 2019.

Now, therefore, in pursuance of the provisions contained in Articles 200 and 201 of the Constitution of India, the Legislative Assembly of the State of Haryana hereby resolves to withdraw the Haryana Control of Organised Crime Bill, 2019.”

**(ii)** एक मंत्री प्रस्ताव करेंगे—हरियाणा राज्य पंजाब पुर्नगढन अधिनियम, 1966 (1966 का केन्द्रीय अधिनियम 1931) की धारा—3 के माध्यम से भारतीय संविधान की प्रथम अनुसूची में राज्य के रूप में सम्मिलित होकर 1 नवम्बर, 1966 से अस्तित्व में आया।

उस समय पंजाब तथा हरियाणा की सीमाओं का बंटवारा हुआ वही पर अन्य संसाधनों का भी बंटवारा हुआ। आज हमारे प्रदेश को बने हुए लगभग 54 वर्ष हो गए हैं परन्तु हमें अभी तक अपना पूरा हक नहीं मिला है। अतीत में जो भी सरकारें रही सभी ने अपने—अपने प्रयास किए कि हमें अपना पूरा हक मिले। हम सभी इस बात के लिए पूरी तरह से वचनबद्ध हैं कि जब तक हमें अपना पूरा हक नहीं मिलता तब तक हम चैन से नहीं बैठेंगे। हरियाणा एवं पंजाब विधान भवन का बंटवारा दिनांक 17.10.1966 को तत्कालीन माननीय राज्यपाल महोदय, पंजाब के कार्यालय में तत्कालीन चीफ इंजीनियर, कैपिटल प्रोजेक्ट, चण्डीगढ़ द्वारा बैठक बुलाकर निर्धारित अनुपात के अनुसार आवंटित किया। विधान भवन ईमारत का कुल क्षेत्रफल 66430 Sq.Feet निर्धारित किया गया। जिसमें से 30890 Sq.Feet पंजाब विधान सभा सचिवालय को दिया गया। तथा 10910 Sq.Feet पंजाब विधान परिषद सचिवालय को दिया गया और 24630 Sq.Feet हरियाणा विधान सभा सचिवालय को दिया गया। जिसका विवरण निम्नलिखित है:—

1. परिषद सदन लॉबी सहित जो हमें बंटवारे में आया जो आज हमारा सदन है, पूर्ण रूप से हमारे पास है।
2. बैसमैन्ट (उत्तर पूर्व) कक्ष संख्या 23,24,25,26 ये चार कमरे हमारे बंटवारे में आए जिसमें से कमरा न. 23 तथा 26 आज भी पंजाब विधान सभा के कब्जे में है।
3. ग्राउड फ्लोर (दक्षिण—पश्चिम) कक्ष संख्या 27,28,29 तथा 30 ये चार कमरे जो बंटवारे के समय हमें आए थे आज ये चारों कमरे पंजाब विधान सभा के कब्जे में हैं।
4. पहली मंजिल (दक्षिण—पश्चिम) कक्ष संख्या 66,67,68,69,70 तथा 71 कुल 7 कमरे जो हमारे हिस्से में आए थे वो पूर्ण रूप से हमारे पास हैं।
5. पहली मंजिल (उत्तर पश्चिम) कक्ष संख्या 99,100,101,102,103,104, 106,107,108,109, 110,111,112 तथा 113 कुल 14 कमरे जो बंटवारे में हमारे हिस्से में आए जो आज पंजाब के कब्जे में हैं।

6. दूसरी मंजिल (उत्तर पश्चिम) कक्ष संख्या 123,124,125,126,127 तथा 128 कुल छः कमरे जो बंटवारे में आए वो पूर्ण रूप से हमारे पास हैं।
7. दूसरी मंजिल (उत्तर पूर्व) कक्ष संख्या 154,155,156,158,159 तथा 160 कुल छः कमरे जो हमारे बंटवारे में आए ये सभी कक्ष पंजाब विधान सभा के पास हैं परन्तु पूर्व में आपसी सहमति से पंजाब के बंटवारे में आए सात कमरे संख्या नं. 129 से लेकर 135 दूसरी मंजिल हरियाणा विधान सभा के पास हैं।

इस तरह कुल 20 कमरे जो हमारा हिस्सा है उन पर आज भी पंजाब ने अवैध तौर से कब्जा किया हुआ है। आज हमारे कर्मचारियों के लिए, विभिन्न दल के नेताओं के लिए, मंत्रियों के लिए तथा समितियों की बैठक के लिए पर्याप्त स्थान नहीं है। वहीं दूसरी ओर हमारे 20 कमरों पर पंजाब विधान सभा ने अवैध रूप से अपना कब्जा किया हुआ है।

यह महान सदन विधान सभा भवन की ईमारत का अपना हिस्सा लेने के लिए किसी भी फॉर्म पर अपनी बात पूरजोर से एकजुटता के साथ उठाएगा तथा यह सदन पंजाब सरकार तथा पंजाब विधान सभा अध्यक्ष से भी अनुरोध करता है कि पंजाब पुर्नगढ़न अधिनियम 1966 के तहत जो हरियाणा एवं पंजाब विधान भवन का बंटवारा 17.10.1966 को हुआ उसका सम्मान करते हुए हरियाणा और पंजाब भवन की ईमारत में जो 24630 Sq.Feet स्थान जो हरियाणा विधान सभा सचिवालय को आंवित हुआ उसमें से जो 20 कमरों पर पंजाब विधान सभा का अवैध कब्जा है उनको खाली करके हरियाणा विधान सभा को सौंपा जाए।

**CHANDIGARH:**  
**THE 4<sup>TH</sup> NOVEMBER, 2020.**

**RAJENDER KUMAR NANDAL,**  
**SECRETARY.**

## हरियाणा विधान सभा

वीरवार, 5 नवम्बर, 2020 को 2.00 बजे मध्याह्न-पश्चात् विधान भवन, चण्डीगढ़ में हरियाणा विधान सभा के हाल में होने वाली हरियाणा विधान सभा की बैठक की कार्यसूची।

### I. शोक प्रस्ताव

एक मंत्री स्वर्गीयः—

1. भारत रत्न श्री प्रणब मुखर्जी, भारत के भूतपूर्व राष्ट्रपति;
  2. श्री राम विलास पासवान, केन्द्रीय मंत्री;
  3. श्री सुरेश अंगडी, केन्द्रीय राज्य मंत्री;
  4. श्री जसवंत सिंह, भूतपूर्व केन्द्रीय मंत्री;
  5. स्वामी अग्निवेश, हरियाणा के भूतपूर्व मंत्री;
  6. श्री देव राज दीवान, हरियाणा विधान सभा के भूतपूर्व सदस्य;
  7. श्री मामू राम, हरियाणा विधान सभा के भूतपूर्व सदस्य;
  8. श्रीमती सरोज, हरियाणा विधान सभा की भूतपूर्व सदस्या;
  9. हरियाणा के स्वतंत्रता सेनानी;
  10. हरियाणा के शहीद;
  11. अन्य
- के देहावसान का उल्लेख करेंगे।

### II. प्रश्न

पृथक् सूची में दर्ज प्रश्न पूछे जाएंगे तथा उत्तर दिए जाएंगे।

### III. कार्य सलाहकार समिति की दूसरी रिपोर्ट

- (i) अध्यक्ष विभिन्न कार्य के संबंध में कार्य सलाहकार समिति द्वारा निश्चित की गई समय सारणी प्रतिवेदित करेंगे।
- (ii) समिति के प्रस्ताव करेंगे कि यह सदन कार्य सलाहकार समिति की दूसरी रिपोर्ट में दी गई सिफारिशों स्वीकार करता है।

### IV. ध्यानाकर्षण प्रस्ताव

#### (i) ध्यानाकर्षण प्रस्ताव सूचना संख्या 6, 16 तथा 34

श्री अभय सिंह चौटाला, एम.एल.ए.

श्रीमती किरण चौधरी, एम.एल.ए.

श्री वरुण चौधरी, एम.एल.ए.

श्री विशन लाल, एम.एल.ए.

श्री भारत भूषण बत्तरा, एम.एल.ए.

श्री आफताब अहमद, एम.एल.ए.

श्रीमती गीता भुक्कल, एम.एल.ए.

श्री कुलदीप वत्स, एम.एल.ए.

श्री जगबीर सिंह मलिक, एम.एल.ए.

श्रीमती शकुंतला खटक, एम.एल.ए.

श्री मेवा सिंह, एम.एल.ए.

श्री अमित सिहाग, एम.एल.ए. — राज्य के 32 शहरों में 30 हजार से ज्यादा गलत रजिस्ट्रीयों के संबंध में राजस्व एवं आपदा प्रबंधन मंत्री का ध्यान आकर्षित करने के लिए।

#### (ii) ध्यानाकर्षण प्रस्ताव सूचना संख्या 12

श्री अभय सिंह चौटाला, एम.एल.ए.— राज्य में (अप्रैल से जून तक) 46 प्रतिशत बढ़ी हुई शिशु मृत्यु दर के संबंध में स्वास्थ्य मंत्री का ध्यान आकर्षित करने के लिए।

## V. सदन की मेज पर रखे जाने वाले कागज—पत्र।

14.	एक मंत्री	हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 88 / जी.एस.टी-2, दिनांकित 20 अक्टूबर, 2020 मेज पर रखेंगे।
15.	एक मंत्री	हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 89 / जी.एस.टी-2, दिनांकित 20 अक्टूबर, 2020 मेज पर रखेंगे।
16.	एक मंत्री	हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 90 / जी.एस.टी-2, दिनांकित 28 अक्टूबर, 2020 मेज पर रखेंगे।
17.	एक मंत्री	हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 91 / जी.एस.टी-2, दिनांकित 28 अक्टूबर, 2020 मेज पर रखेंगे।
18.	एक मंत्री	हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 92 / जी.एस.टी-2, दिनांकित 28 अक्टूबर, 2020 मेज पर रखेंगे।
19.	एक मंत्री	नियन्त्रक तथा महालेखापरीक्षक (कर्तव्य, शक्ति तथा सेवा शर्तें) अधिनियम, 1971 की धारा 19—क (3) के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार, वर्ष 2017–2018 के लिए आवासन बोर्ड, हरियाणा, पंचकूला की लेखों का वार्षिक विवरण मेज पर रखेंगे।
20.	एक मंत्री	नियन्त्रक तथा महालेखापरीक्षक (कर्तव्य, शक्ति तथा सेवा शर्तें) अधिनियम, 1971 की धारा 19—क (3) के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार, वर्ष 2015–2016 के लिए हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण की लेखों का वार्षिक विवरण मेज पर रखेंगे।
21.	एक मंत्री	भाण्डागारण निगम अधिनियम, 1962 की धारा 31 (11) के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार, वर्ष 2016–2017 के लिए हरियाणा राज्य भाण्डागारण निगम, पंचकूला की 50वीं वार्षिक रिपोर्ट मेज पर रखेंगे।

## VI. सरकारी संकल्प

(i) एक मंत्री प्रस्ताव करेंगे— “कि हरियाणा संगठित अपराध नियन्त्रण विधेयक, 2019” संगठित अपराध सिंडीकेट या गैंग द्वारा अपराधिक गतिविधियों को रोकने तथा नियन्त्रण करने और उनसे निपटने के लिए विशेष उपबन्ध करने हेतु प्रस्तुत किया गया था। इसलिए “हरियाणा संगठित अपराध नियन्त्रण विधेयक, 2019” राज्य सरकार द्वारा बनाया गया था और हरियाणा विधानसभा द्वारा 04 अगस्त, 2019 को पारित किया गया था।

और चूंकि, उक्त विधेयक हरियाणा के राज्यपाल को, भारत के संविधान के अनुच्छेद 200 में दिए गए उपबन्धों की अनुपालना में उनकी सहमति के लिए उनके सम्मुख प्रस्तुत किया गया।

और चूंकि, राज्यपाल ने, भारत के संविधान के अनुच्छेद 201 के अधीन, उक्त विधेयक को, भारत के राष्ट्रपति के विचार हेतु आरक्षित रख लिया था।

और चूंकि, “हरियाणा संगठित अपराध नियन्त्रण विधेयक, 2019” भारत के राष्ट्रपति की सहमति के लिए भारत सरकार, गृह मन्त्रालय को भेजा गया था। गृह मन्त्रालय, भारत सरकार द्वारा इलैक्ट्रौनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, भारत सरकार की टिप्पणी के लिए भेजा गया था तथा यह पाया गया था कि “हरियाणा संगठित अपराध नियन्त्रण विधेयक, 2019” की धारा 14 में यथा प्रस्तावित अवरोधन के लिए उपबन्ध पहले ही भारतीय तार अधिनियम, 1885 ( 1885 का केन्द्रीय अधिनियम 13) और सूचना एवं प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000( 2000 का केन्द्रीय अधिनियम 21) कमशः इनके अधीन बनाए गए नियमों में पहले ही किए गए हैं। अतः “हरियाणा संगठित अपराध नियन्त्रण विधेयक, 2019” में इस प्रावधान का होना भ्रम की स्थिति उत्पन्न करता है इसलिए इलैक्ट्रौनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, भारत सरकार उक्त प्रावधान का समर्थन नहीं करता है।

तदनुसार, राज्य सरकार ने गृह मन्त्रालय, भारत सरकार को “हरियाणा संगठित अपराध नियन्त्रण विधेयक, 2019” पर उठाई गई आपत्ति के निवारण हेतु वापिस लौटाने के लिए अनुरोध किया था चूंकि इलैक्ट्रौनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा की गई टिप्पणी के दृष्टिगत नया हरियाणा संगठित अपराध नियन्त्रण विधेयक, 2020 प्रस्तुत किया जाए।

और चूंकि, दिनांक 16 अक्टूबर, 2020 को मन्त्री परिषद् की बैठक में "हरियाणा संगठित अपराध नियन्त्रण विधेयक, 2019" को वापिस लेने और नया "हरियाणा संगठित अपराध नियन्त्रण विधेयक, 2020" प्रस्तुत करने का निर्णय लिया गया है।

इसलिए अब, भारत संविधान के अनुच्छेद 200 और 201 में दिए गए उपबन्धों के अनुसरण में हरियाणा राज्य की विधानसभा, "हरियाणा संगठित अपराध नियन्त्रण विधेयक, 2019" को वापिस लेने का प्रस्ताव करती है।"

(ii) एक मंत्री प्रस्ताव करेंगे— "हरियाणा राज्य पंजाब पुर्नगठन अधिनियम, 1966 (1966 का केन्द्रीय अधिनियम 1931) की धारा-3 के माध्यम से भारतीय संविधान की प्रथम अनुसूची में राज्य के रूप में सम्मिलित होकर 1 नवम्बर, 1966 से अस्तित्व में आया।

उस समय पंजाब तथा हरियाणा की सीमाओं का बंटवारा हुआ वही पर अन्य संसाधनों का भी बंटवारा हुआ। आज हमारे प्रदेश को बने हुए लगभग 54 वर्ष हो गए हैं परन्तु हमें अभी तक अपना पूरा हक नहीं मिला है। अतीत में जो भी सरकारें रही सभी ने अपने—अपने प्रयास किए कि हमें अपना पूरा हक मिले। हम सभी इस बात के लिए पूरी तरह से वचनबद्ध हैं कि जब तक हमें अपना पूरा हक नहीं मिलता तब तक हम चैन से नहीं बैठेंगे। हरियाणा एवं पंजाब विधान भवन का बंटवारा दिनांक 17.10.1966 को तत्कालीन माननीय राज्यपाल महोदय, पंजाब के कार्यालय में तत्कालीन चीफ इंजीनियर, कैपिटल प्रोजेक्ट, चण्डीगढ़ द्वारा बैठक बुलाकर निर्धारित अनुपात के अनुसार आबंटित किया। विधान भवन ईमारत का कुल क्षेत्रफल 66430 Sq.Feet निर्धारित किया गया। जिसमें से 30890 Sq.Feet पंजाब विधान सभा सचिवालय को दिया गया तथा 10910 Sq.Feet पंजाब विधान परिषद् सचिवालय को दिया गया और 24630 Sq.Feet हरियाणा विधान सभा सचिवालय को दिया गया। जिसका विवरण निम्नलिखित है:-

- परिषद् सदन लॉबी सहित जो हमें बंटवारे में आया जो आज हमारा सदन है, पूर्ण रूप से हमारे पास है।
- बैसमैन्ट (उत्तर पूर्व) कक्ष संख्या 23,24,25,26 ये चार कमरे हमारे बंटवारे में आए जिसमें से कमरा न. 23 तथा 26 आज भी पंजाब विधान सभा के कब्जे में है।
- ग्राउड फ्लोर (दक्षिण—पश्चिम) कक्ष संख्या 27,28,29 तथा 30 ये चार कमरे जो बंटवारे के समय हमें आए थे आज ये चारों कमरे पंजाब विधान सभा के कब्जे में हैं।
- पहली मंजिल (दक्षिण—पश्चिम) कक्ष संख्या 66,67,68,69,70 तथा 71 कुल छ: कमरे जो हमारे हिस्से में आए थे वो पूर्ण रूप से हमारे पास हैं।
- पहली मंजिल (उत्तर पश्चिम) कक्ष संख्या 99,100,101,102,103,104, 106,107,108,109, 110,111,112 तथा 113 कुल 14 कमरे जो बंटवारे में हमारे हिस्से में आए जो आज पंजाब के कब्जे में हैं।
- दूसरी मंजिल (उत्तर पश्चिम) कक्ष संख्या 123,124,125,126,127 तथा 128 कुल छ: कमरे जो बंटवारे में आए वो पूर्ण रूप से हमारे पास हैं।
- दूसरी मंजिल (उत्तर पूर्व) कक्ष संख्या 154,155,156,158,159 तथा 160 कुल छ: कमरे जो हमारे बंटवारे में आए ये सभी कक्ष पंजाब विधान सभा के पास हैं परन्तु पूर्व में आपसी सहमति से पंजाब के बंटवारे में आए सात कमरे संख्या नं. 129 से लेकर 135 दूसरी मंजिल हरियाणा विधान सभा के पास हैं।

इस तरह कुल 20 कमरे जो हमारा हिस्सा हैं उन पर आज भी पंजाब ने अवैध तौर से कब्जा किया हुआ है। आज हमारे कर्मचारियों के लिए, विभिन्न दल के नेताओं के लिए, मन्त्रियों के लिए तथा समितियों की बैठक के लिए पर्याप्त स्थान नहीं है। वहीं दूसरी ओर हमारे 20 कमरों पर पंजाब विधान सभा ने अवैध रूप से अपना कब्जा किया हुआ है।

यह महान सदन विधान सभा भवन की ईमारत का अपना हिस्सा लेने के लिए किसी भी फॉर्म पर अपनी बात पूरजोर से एकजुटता के साथ उठाएगा तथा यह सदन पंजाब सरकार तथा पंजाब विधान सभा अध्यक्ष से भी अनुरोध करता है कि पंजाब पुर्नगठन अधिनियम 1966 के तहत जो हरियाणा एवं पंजाब विधान भवन का बंटवारा 17.10.1966 को हुआ उसका सम्मान करते हुए हरियाणा और पंजाब भवन की ईमारत में जो 24630 Sq.Feet स्थान जो हरियाणा विधान सभा सचिवालय को आंवटित हुआ उसमें से जो 20 कमरों पर पंजाब विधान सभा का अवैध कब्जा है उनको खाली करके हरियाणा विधान सभा को सौंपा जाए।"

चण्डीगढ़:  
4 नवम्बर, 2020.

राजेन्द्र कुमार नांदल,  
सचिव।